पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन,

तृतीय तिमाही – वित्त वर्ष 2012,

परिणाम सम्मेलन

03 फरवरी, 2012

मर्यादक :श्री सतनाम सिंह– अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन

श्री करण ओबराय– विश्लेषक, जे.एम. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड

मर्यादक – देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार और जे.एम. फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूटशनल सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तृतीय तिमाही वित्त वर्ष 2012 के परिणामों पर सम्मेलन आह्वान में आपका स्वागत है। इस सम्मेलन की बाकी अवधि के लिए सभी प्रतिभागियों को श्रवण मुद्रा में रहना होगा और आज के प्रस्तुतीकरण की समाप्ति पर आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। यदि इस सम्मेलन आह्वान के दौरान आपको कोई सहायता चाहिए तो कृपया अपने टचटोन टेलीफोन पर का बटन दबाने के बाद का बटन दबाकर ऑपरेटर को संकेत दें। कृपया ध्यान रखें कि इस सम्मेलन की कार्रवाई को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब मैं सम्मेलन की कार्रवाई जे.एम. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के श्री करण ओबराय को सौंप रहा हूँ। धन्यवाद, श्री करण ओबराय कार्रवाई शुरू करें।

करण ओबराय :धन्यवाद, सभी को नमस्कार और तृतीय तिमाही की आय पर चर्चा करने के लिए बुलाए गए पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन सम्मेलन आह्वान में आपका स्वागत है। परिणामों पर चर्चा करने के लिए हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, श्री

सतनाम सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। हम श्री सतनाम सिंह से वित्तीय स्थिति की मुख्य बातों पर प्रकाश डालने के लिए अनुरोध करते हैं। इसके पश्चात् हम प्रश्नोत्तर सत्र की शुरुआत करेंगे। श्री सतनाम सिंह।

सतनाम सिंह : धन्यवाद, सभी को नमस्कार। आपके साथ तृतीय तिमाही के वित्तीय परिणामों और दिसंबर तक संचित आय के बारे में बताते हुए मुझे अति हर्ष हो रहा है।

इस तिमाही में हमारे संवितरणों ने गति पकडी है और 36 प्रतिशत बढकर यह 7,800 करोड से बढकर 10,500 करोड़ हो गए है जिसके परिणामस्वरूप, हमारी ऋण परिसंपत्तियां 20 प्रतिशत बढ़कर लगभग 92,000 करोड़ से 1,18,000 करोड़ हो गई हैं। हमारे पास पुनर्गठित ए.पी.डी.आर.पी. मंजूरियों सहित लगभग 1.82 लाख करोड़ की बकाया मंजूरियां भी है जो हमारी ऋण परिसंपत्तियों के आगे बढ़ते जाने का संकेत है। ऋण परिसंपत्तियों के 28 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी ने कर पश्चात् लाभ 659 करोड़ से बढ़ाकर 1,108 करोड़ तक पहुंचाया है जिसमें 68 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी विदेशी विनिमय अंतरालों के बारे में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए हाल ही के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हुई है। यदि इसे समायोजित किया जाए तब तिमाही के लिए हमारा तुलनात्मक लाभ 17 प्रतिशत अधिक होगा। कुल आय ऋण परिसंपत्तियों के अनुरूप 27 प्रतिशत बढ़कर 2,581 करोड़ से 3,284 करोड़ हो गई है तथा संदेय ब्याज आय 18 प्रतिशत बढकर 925 करोड़ से 1,097 करोड़ हो गई है जिसके परिणामस्वरूप तिमाही के लिए हमारी आय प्रति शेयर 22.96 से बढ़कर 33.57 बढ़ गई है और तद्नुसार, औसत परिसंपत्तियों पर आय 18.8 प्रतिशत से बढ़कर 23.12 प्रतिशत हो गई है और हमने दिसंबर तक पर्याप्त पूंजी स्तर अर्थात् यह 17.92 प्रतिशत का

पूंजी स्तर बनाए रखा है। जहां तक पहले नौ महीनों के संचयी आंकड़ों की बात है, ऋण परिसंपत्तियां लगभग 1,18,000 करोड़ रहीं है और 14 प्रतिशत का उच्चतर संवितरण 25,476 करोड़ है। ये मंजूरियां पिछले वर्ष की तुलना में कम रही हैं किंतु ये हमारे लक्ष्य के अनुरूप है और वार्षिक लक्ष्य लगभग 45,000 करोड़ है और दिसंबर तक हमारी मंजूरियां 36,820 करोड़ है। दिसंबर तक आय 11.10 प्रतिशत से बढ़कर 11.22 प्रतिशत हो गई है, तिमाही के लिए निधियों की लागत 9.13 प्रतिशत थी, परंतु समस्त उगाही गई निधियों (09 महीनों हेतु) का समग्र 8.99 प्रतिशत है। अतएव, यह वृद्धि 2.22 प्रतिशत है। पिछली बार, मीडिया में और सम्मेलन के आह्वान के समय मैंने उल्लेख किया था रीसैट से आने वाली हमारी परिसंपत्तियां और रीसैट से आने वाली वार्षिक देयताओं में मेल है किंतु परिसंपत्तियों की रीसैटिंग वर्ष में चार बार अर्थात् तिमाही आधार पर होती है जबकि देयताओं का पुनःमूल्यीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यों की बढ़ोतरी अथवा घटोतरी के साथ होता है। चूंकि पिछले एक वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरों में प्रायः बढ़ोतरी की जा रही है इसलिए हम वास्तविक अंतरालों का मेल नहीं कर पाए हैं। परंतु अब जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने दर वृद्धि पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है हमारा फैलाव काफी समय तक 2.5 प्रतिशत के मूल स्तर अथवा इसके समान रहेगा। परिणामों के बारे में, मैं इतना ही कह सकता हॅूं। यदि आप ठीक समझे तो मैं क्षेत्रीय विकास के बारे में कुछ कहूंगा । मैं जानता हॅूं कि आप सभी श्रवण मुद्रा में हैं। मैं आपको वितरण कंपनियों के घाटे, कोयले की कमी और मूल्यों की अन्यत्र बढ़ोतरी में हुए परिवर्तनों की जानकारी देना चाहूंगा।

जहां तक कोयले की कमी की बात है, मैं आश्वस्त हॅूं कि आप प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव द्वारा की गई बैठकों पर नजर रखे हुए हैं। इस संबंध में कल

एक बैठक थी और अधिकारिक रूप से मामले का निपटारा नहीं हुआ है, किंतु औपचारिक रूप से हम जानते हैं कि उन्होने कोल इंडिया को आबंटन विधि के अनुरूप और पूरी मात्रा हेतु ईंधन आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर करने की सलाह दी है। ऐसे सभी करार 31 दिसंबर 2011 तक चालू की गई सभी परियोजनाओं के लिए तुरंत हस्ताक्षरित होने चाहिए। कोल इंडिया द्वारा 80 प्रतिशत मात्रा से कम की आपूर्ति करने पर दण्ड देने का और 90 प्रतिशत से अधिक की आपूर्ति करने पर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव भी है। अतः यह स्पष्ट संकेत है कि कोयले के मुद्दे का जल्द निपटान हो जाएगा। जहां तक वितरण कंपनियों के घाटे की बात है, मैं आश्वस्त हूॅ कि शुंगलु समिति, जिसका मैं सदस्य भी था, की सिफारिशें प्रस्तुत की जा चुकी हैं और अन्य सिफारिशों के अलावा हमने राज्य पावर कंपनियों ओं, राज्य सरकार और राज्य विनियामकों को अनुशासित करने की विशेषतः सिफारिश की है। हमने भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन एक विशेष उद्देश्य वाहन ॆ;टच्द्ध के सृजन का प्रस्ताव भी रखा है जिसमे पी.एफ.सी. और आर.ई.सी. भी इक्विटी प्रतिभागी होंगे और विशेष उद्देश्य वाहन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए लाइन ऑफ क्रेडिट पर आधारित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना होगा और ये विशेष उद्देश्य वाहन इन बैंकों और संस्थानों की इन परिसंपत्तियों का अधिग्रहण तब ही कर सकेगा यदि राज्य सरकारें और राज्य पावर कंपनियों एं वितरण कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए किसी कार्य योजना पर सहमत हों। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और कार्य योजना पर करार के पश्चात्, यदि कोई राज्य पावर कंपनियों सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं हो तब विशेष उद्देश्य वाहन को अपना धन प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास स्थित राज्य के केन्द्रीय खाते का उपयोग करने का अधिकार होगा। बैंकों के बाद पी.एफ.सी. और आर.ई.सी. ने वितरण कंपनियों को उधार देना

बंद कर दिया है। कम से कम सात राज्यों की वितरण कंपनियों ने 2 प्रतिशत से लेकर 22 प्रतिशत तक का प्रशुल्क बढ़ाया है और वास्तव में, तमिलनाडु ने 37–38 प्रतिशत तक की प्रशुल्क बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है जिसे अभी तक विनियामकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। अपीलीय अधिकरण ने निर्णय दिया है कि राज्य विनियामको को स्वतः प्रशुल्क बढ़ाना चाहिए क्योंकि उन्हें अधिनियम के अंतर्गत शक्ति दी गई है भले ही संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा वार्षिक राजस्व वसूलियां दायर न की गई हों।

हमने ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के परामर्श से एक समान उधारी मानदंड तैयार किया है। यह मानदंड पिछले मानदंड की तुलना में सख्त है और उधार उन्हीं पावर कंपनियों ओं को दिया जाएगा जो अनुशासन का पालन करेंगी। दिल्ली में कई लोगों ने इस बारे में अखबारों में पढ़ा होगा। उन्होने कहा है कि ईंधन अधिभार के कारण ग्राहकों को फरवरी से अप्रैल तक 5 प्रतिशत के अधिभार का भुगतान करना होगा। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। जबकि एक समय में विस्तृत मेक्रो स्तरीय मुद्दों के सुधार के बारे में सिफारिशें की गई हैं, वितरण कंपनियों द्वारा राजस्व उद्ग्रहण को बढ़ाने के लिए राज्य की संबंधित पावर कंपनियों ने कदम उठाए है।

पुनर्गठित ए.पी.डी.आर.पी. स्कीम, जिसके हम केन्द्रक अभिकरण हैं, का उद्देश्य सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करना है। यह स्कीम अच्छी प्रगति कर रही है। जैसा कि मैंने कुछ समय पूर्व पहले उल्लेख किया है और आप में से कई इसे पहले ही जानते होंगे, 1400 शहरों में से 300 शहरों के घाटे 15 प्रतिशत से कम थे। भारतीय पावर क्षेत्र के इतिहास में पहली बार आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का प्रयोग किया गया

है जिसे हम आधारिक आंकड़ों की स्थापना की संज्ञा दे सकते हैं। संबंधित राज्यों और पावर कंपनियों ओं द्वारा अब तक दर्शाए गए हानि स्तर के आंकड़ों में आंकलन भी शामिल है जबकि स्कीम के क्रियान्वयन के पश्चात् हानि स्तर पूर्णतः विश्वसनीय होगा, जो वितरण क्षेत्र में तीव्रतर निजीकरण में सहायक होगा। अब तक स्कीम के अधीन, 80 शहरों का एकीकरण किया गया है। एकीकरण का अर्थ है कि सिस्टम पहले सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक पर आधारित हानि स्तर के आंकड़ों का सृजन करता है तब वितरण ट्रांसफॉरमर के प्रभारी व्यक्ति पर हानि स्तर में कमी लाने के लिए प्रशासनिक कदम उठाने पर दायित्व केन्द्रित हो जाता है। शुंगलु समिति की एक अन्य सिफारिश यह भी है कि अतिरिक्त हानियों के परिणामस्वरूप लगाया जाने वाला अधिभार राज्य में सभी को आबंटित नहीं होना चाहिए, अपितु यह उन क्षेत्रों पर लगाया जाएगा जहां अधिक हानियां होती हैं। यह हानियों को कम करने के लिए सामाजिक दवाब डालने में सहायक होगा। इसी प्रकार हमने यह भी प्रस्ताव रखा है कि जिन राज्य बिजली विनियामकों ने गत वर्षो में अधिनियम में परिकल्पित दायित्वों और इसके टूल्स के अनुसार कार्य नहीं किया है, उनकी कार्य प्रणाली की समीक्षा विद्युत अधिनियम 2003–2004 के अंतर्गत ऐसी सेवाओं के बारे में विनियामकों द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्ट के पश्चात् विशेषज्ञ समूह के द्वारा की जाए। अतः ये सभी बातें स्पष्टतः यह संकेत करती हैं कि न केवल वितरण कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने पर कार्रवाई जारी है अपितु कुछ समय पहले कोयला आपूर्ति मुद्दे ने प्रधानमंत्री स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और इसलिए यह सकारात्मक दिशा की ओर जा रहा है। अतः अब स्थिति आशावादी है। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

मर्यादक : श्री सिंह का धन्यवाद। अब हम प्रश्नोत्तर सत्र की शुरूआत करेंगे। पहला प्रश्न एडिलवाइस के श्री कुणाल शाह की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

कुणाल शाह : इन विशाल आंकड़ों के लिए आपको बधाई। प्रथमतः, कोनासीमा पर कितना ब्याज आय उत्क्रम रहा है ?

सतनाम सिंह : कोनासीमा आय उत्क्रम 19 करोड़ है।

कुणाल शाहः अतिरिक्त 395 करोड़ के उद्भासन पर ?

सतनाम सिंहः 395 करोड़।

कुणाल शाहः और 39 करोड़ की प्रोविजनिंग ?

सतनाम सिंहः प्रथम वर्ष में 10 प्रतिशत प्रोविजनिंग।

कुणाल शाहः ब्याज आय उत्क्रम पर, यह उद्भासन का 5 प्रतिशत प्रतीत होता है?

सतनाम सिंहः कौन सा ब्याज उत्क्रम? क्या कोनासीमा ब्याज उत्क्रम?

कुणाल शाहः जी हां।

सतनाम सिंहः प्रतिशतता, हां यह 5 प्रतिशत है।

कुणाल शाहः परिसंपत्तियों की गुणवत्ता के अर्थ में। पिछली बार आपने कोनासीमा के बारे में बताया था कि इससे जुड़े हुए गैस संबंधी मुद्दे हैं। क्या कोई ऐसी अन्य परियोजनाएं हैं जो संकटग्रस्त हों और एन.पी.एल. को आगे बढ़ाने में सहायक हों, 6–9 महीने पीछे है ?

सतनाम सिंहः 6–9 महीने पीछे ? शायद आप जानते हों केवल महेश्वर परियोजना एक ऐसी परियोजना है, जहां हमें मार्च 2012 तक वितरण शुरु कर देना चाहिए था और हम आशा करते हैं कि मार्च 2012 से पूर्व हम कोई हल निकालने में कामयाब होंगे। इसके अलावा किसी अन्य परियोजना में मुश्किल नहीं है क्योंकि कोयले जैसे मुद्दे ने, जिस पर कुछ विश्लेषकों का यह मानना था कि कुछ और मुद्दे भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और आशा करते हैं कि यह मुद्दा बहुत जल्द हल हो जाएगा।

कुणाल शाहः क्या महेश्वर परियोजना की स्थिति में सुधार हुआ है अथवा यथा स्थिति है जैसे तीन महीने पहले थी अथवा इसी प्रकार की कोई समस्या ?

सतनाम सिंहः जहां तक उनकी ओर से इक्विटी इनफ्यूजन की बात है, कोई प्रगति नहीं हुई है, किंतु विकल्प के रूप में मुख्य अंशधारी अर्थात् मध्य प्रदेश सरकार किसी वैकल्पिक हल को तलाशने पर कार्य कर रही है।

कुणाल शाहः अब केवल 2 महीने बचे हैं। अतः यह संभावना है कि यह परियोजना एन.पी. एल. में जा सकती है।

सतनाम सिंहः वस्तुतः यह करार होने भर की बात है। मैं एक सप्ताह के अंदर भी करार कर सकता हूॅ अथवा 10 दिन के अंदर भी और यदि दृष्टिकोण मेल नहीं

खाते तो यह अवधि बढ सकती है। यह सभी के हित में है कि उस तिथि से पहले मुद्दे का हल निकाल लिया जाए।

कुणाल शाहः महोदय, अन्य प्रश्न संवितरणों के बारे में है। यदि आप व्यापक दृष्टि डालें तो प्रथम 9 महीनों में तो संवितरणो का लगभग 20 प्रतिशत निजी क्षेत्र को गया है। अतः इस प्रकार के वातावरण में कौन से अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं? निश्चित रूप से हमारा उद्भासन 7 प्रतिशत से बढकर 70 प्रतिशत हो गया है। अतः इस वित्त वर्ष के प्रथम 9 महीनों में कुछ निजी क्षेत्रों की उधारी के बारे में, कौन से अतिरिक्त नियंत्रण लगाए जा रहे है।

सतनाम सिंहः कोई अतिरिक्त कदम नहीं। निजी क्षेत्रों को संवितरणों के बारे में लगाई गई शर्ते मंजूरी के समय ही लगाई गई थी अतः उसके पश्चात् अन्य नियंत्रणों का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि निजी विकासक मंजूरी के समय लगाई गई शर्तों का अनुपालन करते हैं तो हम उन्हें धन का संवितरण करते हैं अन्यथा नहीं। अप्रैल 2011 से हमने कड़ी शर्ते लगाई हैं जैसे कि हमसे संवितरण प्राप्त करने से पहले आपको ईंधन आपूर्ति करार और पावर क्रय करार करना होगा। अतः इससे कड़ी कोई और शर्त नहीं हो सकती।

कुणाल शाह : ठीक है, मंजूरियों के अर्थो में भी लगभग 20 प्रतिशत मंजूरियां निजी क्षेत्रों की ओर से आई हैं। अतः इस संबंध में मेरा विचार है कि एक अथवा दो वर्ष पूर्व की स्थिति की तुलना में हम अच्छी स्थिति में है और इनमें से कुछ इकाइयों अथवा इनमें से कुछ परियोजनाओं से जुड़े रहेंगे।

सतनाम सिंहः वास्तव में हम अच्छी स्थिति में है। इसमें कोई संदेह नहीं है। किन्तु जैसा कि मैंने अभी कहा है, हमने कड़ी शर्ते लगाने की योजना बनाई है और यदि आप

ग्यारहवी योजना के दौरान निजी क्षेत्र पर नजर डालें तो इसका निष्पादन राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र से बेहतर है। लगभग सभी परियोजनाएं लक्ष्य अनुसार शुरु कर दी गई हैं।

कुणाल शाह : महोदय, अन्य संवितरणों के बारे में क्या स्थिति है जैसे कि अन्य 1,300 करोड़ और 2,800 करोड़ ? जिसका अर्थ है लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से लघु अवधि ऋणों का कम्प्यूटीजेशन और विकेन्द्रीकरण। वे कौन सी इकाईयां है, जिसके अंतर्गत वितरण कंपनियों को लोन शामिल है?

सतनाम सिंहः लघु अवधि ऋणों को जैसा कि मैंने अपनी आरम्भिक टिप्पणी में कहा है कि वितरण कंपनियों को लघु अवधि उधारियों के लिए हमने कड़े मानदंड अपनाए हुए हैं। अतः हम लघु अवधि ऋण कठिन शर्तो पर देते है।

कुणाल शाह : यह किस राज्य के लिए होगा ?

सतनाम सिंहः राज्यों का उल्लेख करने से पूर्व मैं कड़े मानदंड का उल्लेख करना चाहूंगा ताकि आपको यह बोध करा सके कि हम क्या करने का प्रयास कर रहें है। हमने कहा है कि गत वर्ष का प्रशुल्क आदेश तैयार होना चाहिए और अगले वर्ष की प्रशुल्क याचिका आपको पहले ही दायर कर देनी चाहिए। आपका लेखा परीक्षित खाता 18 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको राज्य सरकार की गारंटी देनी होगी और चालू वर्ष के लिए आनुपातिक सब्सिडी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पूर्व में दी जानी चाहिए। यदि इन पांच शर्तों का अनुपालन किया जाता है तब आप हमसे लघु अवधि ऋण लेने के पात्र हैं और यह ऋण केवल 6 माह की अवधि के लिए होगा। जिसके दौरान इसी

प्रकार की 9 अन्य शर्तों को पूरा करने की हम आपसे आशा करते हैं अन्यथा 6 माह के पश्चात् आप आगे ऋण लेने के पात्र नहीं होंगे।

कुणाल शाह : क्या 6 माह की समाप्ति पर कोई पुनर्वित्तीयन खण्ड डाला गया है अथवा यह कैसा है?

सतनाम सिंहः नहीं, हमारे पास निलंब लेख है और हमने 2 माह के पश्चात् ई.एम.आई. का उपबंध किया हुआ है। इसका अर्थ है कि 4 माह के समय में लघु अवधि ऋण की वसूली की जानी है। चूंकि निलंब लेख के होने की वजह से हम राजस्व प्रभार की नियमित रूप से मोनिटरिंग कर रहें हैं, अतः इस बारे में कोई मुद्दा नहीं है। हम निलंब लेख का अवलंब लेकर अपना धन वापस ले सकते है, किन्तु मैं यह बात बताना चाहूंगा कि इन वितरण कंपनियों ने यह महसूस किया है कि बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों से धन लेने के लिए उनके द्वारा इच्छित परिवर्तनों को करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यह धन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश जैनको वितरण कंपनी नहीं है।

कुणाल शाह : महोदय, लघु अवधि ऋणों की प्रमात्रा क्या होगी?

सतनाम सिंहः इसकी प्रमात्रा लगभग 3,000 करोड़ होगी।

कुणाल शाह : क्या लघु अवधि ऋण बकाया 3,000 करोड़ है?

सतनाम सिंहः जी हां।

कुणाल शाह : धन्यवाद महोदय।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न इंडिया फर्स्ट के श्री जयप्रकाश तोशनीवाल की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिये।

जयप्रकाश तोशनीवालः नमस्कार महोदय। मैं विनिमय लाभों, हानियों के बारे में जानना चाहता हूॅं जैसा आपने प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया है जिसके अनुसार प्रस्तुतीकरण में यह लगभग 415 करोड़ है जबकि तुलनात्मक लाभों में यह 317 करोड़ है ?

सतनाम सिंह : यह कर भुगतान करने के बाद शेष राशि है।

जयप्रकाश तोशनीवाल : इस पर कर भार कितना है और क्या हमें इस पर कर अदा करना होगा ?

सतनाम सिंहः जी हां, इसीलिए सकल और कर पश्चात् आंकडों में अंतर है।

जयप्रकाश तोशनीवाल : महोदय जैसा आपने बताया है कि 9 माह की हानि राशि 189 करोड़ है। क्या इसमें परिवर्तन होने वाला है अथवा यह वास्तविक हानि है?

सतनाम सिंहः नहीं, यह कल्पित है। सितम्बर 2011 तक 605 करोड की कुल कल्पित विनिमय हानि को बाजार मानकों के आधार पर बुक किया गया है जबकि दिसम्बर 2011 को समाप्त 9 माह की अवधि के लिए परिशोधन विधि पर आधारित कुल कल्पित विनिमय हानि 189 करोड़

थी। तृतीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2012 में दर्शाया गया कल्पित विनिमय लाभ अंतर/ उत्क्रम 415 करोड़ है। किन्तु बुक की गई सभी मदें कल्पित हैं वास्तविक नहीं।

जयप्रकाश तोशनीवाल : अब मेरा दूसरा प्रश्न विषय से हटकर है। शुंगलु समिति में आप सदस्य थे, विशेष उद्‌देश्य वाहन पर हमें विश्वास है कि भारतीय रिजर्व बैंक इसे लाईन ऑफ क्रेडिट प्रदान करेगा। किन्तु हाल के मौद्रिक सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी अथवा विशेष उद्‌देश्य वाहन के बारे में सूचना से इंकार किया है। क्या उस समय रिजर्व बैंक से कोई चर्चा नहीं हुई थी?

सतनाम सिंहः नहीं, इसीलिए मैंने स्पष्टतः कहा है कि योजना आयोग को सिफारिशें की गई हैं। इसलिये यह मानकर चलें कि यह परीक्षणाधीन है और एक बार परीक्षण हो जाने के बाद वित्त मंत्रालय से इस पर चर्चा की जायेगी और तभी वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश देगा। अतः ऐसा नहीं हो सकता कि जिस दिन सिफारिश की गई है उसी दिन यह भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित कर दी जाए।

जयप्रकाश तोशनीवाल : ठीक है महोदय, धन्यवाद।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न जे.एम. फाईनेंशियल्स के अश्विन कुमार अग्रवाल की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

अश्विन कुमार अग्रवाल : नमस्कार महोदय। महेश्वर परियोजना के अलावा क्या कोई अन्य परियोजना है, जिसका पुनर्गठन किया जाना है अथवा कोई अन्य जानकारी?

सतनाम सिंहः आज तक कोई नहीं।

अश्विन कुमार अग्रवाल : क्या निजी क्षेत्र, जिन्हें आपने पहले ऋण दिया हुआ है, में कोई संकट अथवा समस्या है?

सतनाम सिंह : अब तक कोई समस्या नहीं है।

अश्विन कुमार अग्रवाल : महोदय अगले वर्ष के लिए ऋण पुस्तिका में कितनी वृद्धि की हम आशा कर सकते हैं।

सतनाम सिंहः क्या मुझे दिशा–निर्देश देने की अनुमति है?

अश्विन कुमार अग्रवाल : महोदय, यह केवल आशा मात्र है।

सतनाम सिंह : यह सही है किन्तु आशा भी एक दिशा–निर्देश ही है। मैंने आपको पहले बता ही दिया है, तथापि 2009–2010 की पृष्ठभूमि के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उस वर्ष परिसम्पत्तियों की वृद्धि 24 प्रतिशत थी। वर्ष 2010–11 में उच्चतर आधार पर हमारी परिसम्पत्तियों की वृद्धि 25 प्रतिशत थी। वर्ष 2011–12 में भी प्रथम 9 महीनों के लिए हमारी वृद्धि दर 28 प्रतिशत है और 35 से 40 हजार करोड़ के वार्षिक संवितरणों के साथ हमारे पास 1 लाख 82

हजार करोड़ के ऑर्डर बुक है। अब आपको निर्णय करना है कि क्या हम भविष्य में वृद्धि दर को बनाये रखेंगे अथवा नहीं।

अश्विन कुमार अग्रवाल : ठीक है महोदय, धन्यवाद।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न मैक्वायर के मुदित पाइनुली की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

मुदित पाइनुलीः मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुल विदेशी विनिमय हानि कितनी है जो आप देयताओं के रहते चुकाएंगे ?

सतनाम सिंह : दिसम्बर तक कुल हानि 1,033 करोड़ है। इसमें से बुक की गई हानि 190 करोड़ है और इसलिए इसका अर्थ यह है कि 843 करोड़ की राशि चुकाई गई है।

मुदित पाइनुली : क्या यह पांच वर्ष की अवधि में पूरा हो जायेगा अथवा नहीं?

सतनाम सिंहः विभिन्न स्तरों पर हमारे उन्मोचन 2014 से शुरू होंगे और इस तथ्य को देखते हुये कि रुपया का मूल्य बढ़कर 48.93 हो गया है। अतः मैं समझता हूँ कि यह तथ्य अब महत्वपूर्ण नहीं रहा है।

मुदित पाइनुलीः जैसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ क्या यह 10 प्रतिशत अथवा इसके आसपास है ?

सतनाम सिंह : जी हां।

मुदित पाइनुलीः हमने सुना है कि राजस्थान ने पुनर्गठन की मांग की है। राजस्थान को लघु अवधि के ऋण के बारे में आपका क्या उद्‌भासन है और यह कितनी राशि का होगा?

सतनाम सिंहः ऐसा है किन्तु स्पष्टतः कहा है कि हम ऋणों का पुनर्गठन नहीं करते हैं। वस्तुतः, वे सोच रहे होंगे कि बैंक सहमत हो गये हैं इसलिए पी. एफ.सी. भी सहमत हो जाएगा। पी.एफ.सी. ऐसे उधार नहीं देता जहां पुनर्गठन संभव है। हम परियोजना विशेष के लिए उधार देते हैं। लघु अवधि ऋणों के पुनर्गठन का कोई प्रावधान नहीं है।

मुदित पाइनुली : क्या आप अनुमानित राशि बता सकते है, यह कितनी होगी?

सतनाम सिंह : राजस्थान?

मुदित पाइनुली : जी हां।

सतनाम सिंह : राजस्थान, मेरे विचार से यह लगभग 1,500 करोड़ होना चाहिए। मैं इस आंकड़े की पुष्टि कुछ समय में करूंगा। यदि आप हमें एक ई–मेल भेजेंगे तो हम आंकडों की पुष्टि कर देंगे परंतु यह राशि उसके बराबर ही होगी। हद से हद यह 1,500 करोड़ से कम होगी।

मुदित पाइनुली : ठीक है महोदय। मंजूरियों के बारे में दृष्टिकोण – इस वर्ष मंजूरियों में काफी कमी आई है। यह विभिन्न शर्तों के कारण हुआ है। अतः

क्या आप अगले वर्ष 15 से 20 प्रतिशत वृद्धि की आशा कर सकते है जैसा आपने इस वर्ष किया है?

सतनाम सिंह : इस समय यह कहना मुश्किल होगा क्योंकि जो कुछ हुआ है वह बारहवीं योजना की आवश्यकताओं का आंकलन करते समय हुआ है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपने उन लक्ष्यों में बदलाव किया है जिनको अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि यह कोयले आदि की उपलब्धता के आधार पर योजना आयोग के स्तर पर विचाराधीन है। आंकलन करने के दो उपाय हैं, एक इच्छित क्षमता और दूसरा ईंधन की वर्तमान उपलब्ता पर आधारित है। अतः जब तक आंकड़ों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता और भारतीय रिजर्व बैंक का यह निर्णय कि क्या वह मार्च 2012 के बाद राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों को उधार देने से छूट देगा, को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह कहना मुश्किल होगा कि वृद्धि जारी रहेगी। इन दोनों मुद्दों के निपटान के पश्चात् ही यह मेरे लिए यह कहना संभव होगा कि क्या मंजूरियों में आगे वृद्धि जारी रहेगी। किंतु यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है कयोंकि वर्तमान में हमारे पास आर–ए.पी.डी.आर.पी. सहित 1 लाख 82 हजार करोड़ की बकाया मंजूरियां है (प्रतिबद्ध मंजूरियां)। अतः हम एक से डेढ़ वर्ष तक चिंतित नहीं हैं और उस समय तक ये मुद्दे सुलझा लिए जायेंगे।

मुदित पाइनुलीः ठीक है, राज्य को अपने सकल मूल्य का 100 प्रतिशत तक उधार देने का मामला वित्त वर्ष 2013 के अंत तक निपटा लिया जायेगा?

सतनाम सिंह : नहीं, मार्च 2012 तक। हमने ऊर्जा मंत्रालय को कार्य–योजना प्रस्तुत कर दी है और हमने मार्च 2017 तक छूट जारी रखने की मांग की है पर देखते हैं कि इस पहलू पर भारतीय रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण क्या होता है।

मुदित पाइनुलीः अतः इस समय आप अपने सकल मूल्य का 100 प्रतिशत तक उधार दे सकते है?

सतनाम सिंह : हमें छूट मिल गई है इसलिए हम ऐसा करते रहेंगे।

मुदित पाइनुलीः आपका बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न गोल्डमेन सैच के राहुल जैन की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

राहुल जैन : महोदय, नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न शुंगलु समिति द्वारा प्रस्तावित विशेष उद्देश्य वाहन पर है। मैं इसकी संरचना के बारे में जानना चाहता हूॅं और यह कब मूर्त रूप लेगा। रिपोर्ट के अनुसार पहले राज्य विद्युत बोर्ड अथवा वितरण कंपनी बैंको के साथ ऋण का परक्रामण करेगी और यदि संशोधित अथवा पुनः परक्रामित ऋणों में चूक होगी तब ही विशेष उद्देश्य वाहन क्रियान्वित होगा। क्या आप इसके बारे में विस्तार से बताने की कृपा करेंगे?

सतनाम सिंह : जी हां, ये सिफारिशें बैंको के लिए हैं, पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन अथवा आर.ई.सी. के लिए नहीं क्योंकि हम परियोजना विशेष के लिए ऋण देते हैं। बैंको के बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूॅं कि क्या वे ऐसा

करते हैं अथवा नहीं, धन उन परियोजनाओं को देते है जो विशिष्ट नहीं है। अतः ये संस्थान बैंको से ऋणों को पुनर्गठित करने के लिए मांग कर सकते हैं और इस पुनर्गठन पर बैंको के संबंधित राज्य पावर कंपनियों द्वारा तैयार कार्य योजना की प्रतिबद्धता पर सहमत होने की संभावना है। यह भी भुगतान योजना के एक प्रकार की परिकल्पना करता है और यदि इस भुगतान योजना का पालन नहीं किया जाता तब विशेष उद्देश्य वाहन क्रियान्वित होता है।

राहुल जैन : क्योंकि सिफारिशों के शब्दों में कुछ भ्रामकता है?

सतनाम सिंह : नहीं, इसमे कोई भ्रम नहीं है। अतः मुझसे पूछे कि इसमें क्या भ्रम है मैं इसे स्पष्ट करूंगा।

राहुल जैन : जी हां, वस्तुतः इसका कहना है कि विशेष उद्देश्य वाहन कब अधिग्रहण करेगा? पावर कंपनियों

सतनाम सिंह : जी हां, मैं एक उदाहरण देता हूॅ। मान लीजिए कि आप एक बैंक हैं और किसी राज्य पावर कंपनियों पर आपका 500 करोड़ ऋण बकाया है, तब आप उस पावर कंपनी से बातचीत करेंगे और संशोधित भुगतान अनुसूची पर सहमत होंगे। ऐसा होने पर यह आशा की जाती है कि यह पावर कंपनी धनराशि का अनुसूची अनुसार भुगतान करेगी। यदि इसका पालन नहीं होता तब विशेष उद्देश्य वाहन क्रियान्वित होता है और बैंक की समस्त परिसंपत्ति का अधिग्रहण करेगा, जिसका अर्थ है कि बैंक की बही स्पष्ट होगी। बैंको को कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि परिसंपत्तियां विशेष

उद्देश्य वाहन को अंतरित हो जाएंगी। किंतु विशेष उद्देश्य वाहन राज्य पावर कंपनी को ऐसी कार्य योजना पर सहमत होने के लिए तैयार करेगा जो विशेष उद्देश्य वाहन के वित्तीय स्वास्थ्य का सुधार करेगा तब ही यह अधिग्रहण करेगा। अतः यह संयुक्त प्रयास ही होगा।

राहुल जैन : अतः विशेष उद्देश्य वाहन बैंक को 500 करोड़ वापस करेगा जो इसे देय है?

सतनाम सिंह : संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को अधिकार में लेने का यही अर्थ है।

राहुल जैन : अतः बैंको को उनकी पूरी राशि वापस हो जाएगी।

सतनाम सिंह : यह सही है। तब विशेष उद्देश्य वाहन इस पावर कंपनी को उस कार्ययोजना का अनुपालन करवाएगा। इसके पश्चात् भी यदि राज्य उस योजना का अनुपालन नहीं करता, तब विशेष उद्देश्य वाहन परिसंपत्ति सुरक्षित होती है क्योंकि विशेष उद्देश्य वाहन को राज्य द्वारा देय धनराशि को वापस लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्य केन्द्र खाते का अवलंब लेने का अधिकार होगा।

राहुल जैन : महोदय, इस पर कोई अतिरिक्त अनुवर्ती कार्रवाई की गई है? यह प्रश्न अन्य प्रतिभागी ने पूछा है। क्या होगा यदि भारतीय रिजर्व बैंक शुंगलु समिति द्वारा यथा प्रस्तावित वस्तुतः लेनदार बनने से कल इंकार कर दे?

सतनाम सिंह : यदि सरकार निर्णय करती है तब कोई भी संस्थान मना नहीं कर सकता।

राहुल जैन : क्या मैं कंपनी से संबंधित प्रश्न पूछ सकता हूँ? इस तिमाही में विदेशी विनिमय आय बुक होने से कितनी कम है? क्या मैं तकनीकी बातों को समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि यह परिवर्तन लेखांकन मानकों में परिवर्तन के कारण है। क्या आप हमारे द्वारा इस तिमाही में किए गए संव्यवहारों, की गई लेखांकन प्रविष्टियों पर प्रकाश डालेंगे?

सतनाम सिंहः मैं बताना चाहूँगा कि सितम्बर तक हमने मार्किट आधारित 605 करोड़ की कल्पित हानि दर्ज की है। तृतीय तिमाही में लेखांकन मानकों की समीक्षा हुई है और न केवल हमने तृतीय तिमाही के लिए कम हानि दर्ज की है, अपितु पिछले वर्ष की अर्ध वार्षिक उच्चतर बुकिंग को भी पलट दिया है और तिमाही के लिए इससे 317 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ अर्जित हुआ है।

राहुल जैन : अतः इस तिमाही में बुक की गई हानि की संपूर्ण राशि बाजार हानियों के अनुसार है जिसे इस तिमाही में पलट दिया गया है और 100 करोड़ पर क्या विचार हुआ है ?

सतनाम सिंह : नहीं, हमने इसे चालू तिमाही में बुक नहीं किया है। हमने पिछली तिमाही तक बुक किया था और पिछली तिमाहियों को पलट दिया है। इस निमाही में हानियों को हमने केवल परिशोधन आधार पर ही बुक किया है।

राहुल जैन : यह राशि 190 करोड़ ही है।

सतनाम सिंहः जी हां।

राहुल जैनः मेरी ओर से केवल इतना ही। यदि मुझे कोई प्रश्न होगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। आपका बहुत धन्यवाद।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न आई.सी.आर.ए. लिमिटेड के जसकीरथ चड्ढा की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

जसकीरथ चड्ढाः नमस्कार महोदय। मैं यह जानना चाहता हूँ कि शुंगलु समिति की सिफारिशों के समयबद्ध क्रियान्वयन के बारे में आप क्या आशा करते हैं?

सतनाम सिंहः हम आशा करते है कि यह जल्द क्रियान्वित होंगी क्योंकि यह हमारे हित में है परंतु आप जानते है कि सरकार के स्तर पर सिफारिशों पर कैसे विचार किया जाता है, इसके लिए आपको सरकार से पूछना पड़ेगा जिसने ये सिफारिशें स्वीकार करनी है। ये सिफारिशें 15 दिसंबर को प्रस्तुत की गई थी और हम अगले एक माह में सरकार की ओर से कुछ सुनने की आशा करते हैं।

जसकीरथ चड्ढाः ठीक है। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न गोल्डमैन सैच के हिरेन दसानी की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

हिरेन दसानीः धन्यवाद महोदय। केवल एक प्रश्न स्टॉक एक्सचेंज के वैधानिक खुलासे के प्रस्तुतीकरण बनाम आपके प्रस्तुतीकरण के बारे में। 39 करोड़ का प्रावधान इस स्टॉक एक्सचेंज के फॉरमेट के आधार पर क्या दर्शाता है ?

सतनाम सिंहः आप किन आंकड़ो के बारे में जानना चाहते हैं?

हिरेन दसानीः इस तिमाही में हमने एन.पी.ए. के लिए 39 करोड़ का प्रावधान किया है? यह प्रतीत होता है कि आपने अपने प्रस्तुतीकरण में इस राशि को अन्य प्रचालन आय अथवा अन्य आय के साथ मिला दिया है।

सतनाम सिंह : नहीं, इसे 2(क) के अधीन अन्य वित्तीय प्रभारों से प्राप्त ब्याज में दर्शाया गया है।

हिरेन दसानीः क्या यह 39 करोड़ 2,196 करोड़ का हिस्सा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?

सतनाम सिंहः यह सही है।

हिरेन दसानीः इसके लिए आपका धन्यवाद। अगला प्रश्न पुलोक चटर्जी समिति अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ हुई बैठक के बारे में है। आपका यह कहना है कि अनौपचारिक रूप से यह सहमति बन गई है कि दिसंबर 2011 तक पूर्ण हुई सभी परियोजनाओं के लिए कोल इंडिया से एफ.एस.ए. पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा?

सतनाम सिंहः चूंकि बैठक कल हुई है, अंतिम परिणाम हमारे पास नहीं हैं। यह हमारे हित में है कि हम मुद्दा सुलझाने का प्रयास करें। मैं आपके साथ इतना मात्र ही शेयर कर सकता हूँ।

हिरेन दसानीः निश्चित रूप से मैं इसकी प्रशंसा करता हूॅ। परंतु प्रश्न है कि कोल इंडिया की हमेशा से यह स्थिति रही है कि उनके पास पर्याप्त कोयला नहीं होता और इसलिए यह 80 प्रतिशत अथवा इसके आसपास एफ.एस.ए. पर हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है। अतः हम किस प्रकार से कोयले मात्र की कमी की समस्या का निपटान कर सकते है?

सतनाम सिंह : सचिव, कोयला भी उस समिति के सदस्य हैं। अतः इस चर्चा से यदि कोई बात निकल कर आती तो, सचिव, कोयला ने इस पर विचार किया होता।

हिरेन दसानीः क्या कोल इंडिया द्वारा कोयला आयात करने की बात चल रही है?

सतनाम सिंहः वे इसे कैसे पूरा करेंगे यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हो सकता है कल अथवा परसों तक यह स्पष्ट हो जाये। जितना मैं जानता था मैंने आपको बता दिया है।

हिरेन दसानीः ठीक है सिद्धान्ततः यह दिसंबर 2011 तक होना प्रतीत होता है?

सतनाम सिंहः मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूॅ कि यह ऐसी मद नहीं है जो फोकस में न हो और ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं किया जा रहा है। यह सब सकारात्मक दिशा में हो रहा है।

हिरेन दसानीः निश्चित रूप से। दिसंबर 2011 के बाद आने वाली परियोजनाओं के बारे में कोई चर्चा करना चाहेंगे? क्योंकि यह समझा जा सकता है कि ज्यादातर कैपेक्स स्थापना चालू करने की दिशा में है?

सतनाम सिंह : जहां तक हमारी सूचना का प्रश्न है तो 2014–2015 में चालू होने वाले नये संयंत्रों के लिए भी ऐसा ही किया जाएगा। पहली चिंता पहले से चालू हुई परियोजनाओं को लेकर है कि उनका क्या होगा। अतः यह स्पष्ट ही है कि उन्हे पूर्ण आबंटन के लिए एफ.एस.ए. हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है।

हिरेन दसानीः परंतु नीतिगत दृष्टिकोण से यह विचार आता है कि यदि कोल इंडिया एल.ओ.ए. पर हस्ताक्षर करता है तो इसे 80 प्रतिशत तक एफ.एस.ए. पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

सतनाम सिंह : यह ठीक है।

हिरेन दसानीः और अंतिम प्रश्न जैसे कि आपने पहले कहा है श्री महेश्वर और कोनासीमा परियोजनाओं के अलावा क्या अगले दो–तीन तिमाहियों में किसी अन्स परियोजना के संकटग्रस्त होने की संभावना है?

सतनाम सिंह : अब तक हमने ऐसी कोई परिकल्पना नहीं की है।

हिरेन दसानीः ठीक है। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न बैंक ऑफ अमेरिका के विकेश गांधी की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

विकेश गांधीः नमस्कार महोदय। केवल एक प्रश्न मैं राज्यों के साथ आपके ऋण उद्भासन के बारे में पूछना चाहूँगा? केवल कुछेक बड़े राज्य उद्भासन मात्र?

सतनाम सिंह : जी हां। आप राज्य, केन्द्रीय, संयुक्त, और निजी क्षेत्रों की परियोजनाओं में से केवल राज्य क्षेत्रीय परियोजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप सभी परियोजनाओं के बारे में एक साथ जानना चाहते हैं अथवा केवल राज्य स्तरीय परियोजनाओं के बारे में ?

विकेश गांधीः मेरा अर्थ केवल राज्य से है?

सतनाम सिंह : सभी राज्यों की समेकित ऋण है। महाराष्ट्र का बकाया ऋण 11,800 करोड़, राजस्थान का 8,000, हरियाणा का 7,800 करोड़ आंध्र प्रदेश का 7,800 करोड़, उत्तर प्रदेश का 7,400 करोड़, पश्चिम बंगाल का 7,400 करोड़, मध्य प्रदेश का 6,700 करोड़, और दिल्ली व एन.सी.आर. का 6,300 करोड़। तमिलनाडु का 5,000 करोड़ तथा उत्तराखंड का 4,000 करोड़। मैं समझता हूँ कि यह पर्याप्त है।

विकेश गांधीः जी हां, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न एशियन मार्किट के श्री कमलेश कोटक की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

कमलेश कोटकः महोदय, नमस्कार। मैं विलंब से आया हूँ इसलिए मैं यह नहीं जानता कि आपने क्या कहा है। मैं एन.पी.ए. के बारे में जानना चाहता हूँ जो आपने प्रदान किया है विशेषतः कोनासीमा परियोजना को अथवा...?

सतनाम सिंहः कोनासीमा को इसी तिमाही में जोड़ा गया है।

कमलेश कोटक : आपने महेश्वर परियोजना का जिक्र किया है?

सतनाम सिंह : नहीं, जो प्रावधान हमने महेश्वर के लिए पहले किए हैं हम उन्हे पूरा कर रहे हैं और इस तिमाही में कुछ भी अतिरिक्त नहीं ।

कमलेश कोटकः बैंकिंग क्षेत्र के अनुसार प्रोविजनिंग मानको के अंतरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के बारे में कोई अद्यतित स्थिति। हम परिसंपत्तियों पर जिस 10 प्रतिशत की प्रोविजनिंग को जारी रखे हुए हैं उस पर कोई विचार किया जा रहा है इनकी स्थिति ठीक नहीं है?

सतनाम सिंहः नहीं। जब तक हम इस संबंध में उनके निर्णय के बारे में नहीं जान पाते हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। हम वही कर रहे हैं जो हम पहले करते आए है।

कमलेश कोटकः मैं आपसे इतना ही जानना चाहता था। क्या अगले वर्ष तक कोई नई स्थिति पैदा होने वाली है?

सतनाम सिंहः नहीं। हमने पहले ही रोडमैप प्रस्तुत कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि वे प्रथम तिमाही में इस पर निर्णय ले लेंगे।

कमलेश कोटकः इस क्षेत्र में एस.ई.बी. को उधार देने की वर्तमान दरें क्या हैं विशेषतः लघु अवधि और दीर्घ अवधि परियोजनाओं के लिए?

सतनाम सिंहः ब्याज दरें वर्गीकरण और परियोजनाओं के प्रकारों के अनुसार परिवर्तनीय है। परंतु इसकी रेंज 12.5 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक है। सभी लेनदारों को एक साथ रखें तो राज्य क्षेत्र की कैटेगरी ए+, राज्य क्षेत्रीय कैटेगरी ए, और प्राईवेट सैक्टर का कुल मिलाकर 12.5 प्रतिशत से 14 प्रतिशत है। दीर्घ अवधि ब्याज दर लगभग 12.25 प्रतिशत है।

कमलेश कोटकः महोदय, अब यू.एम.पी.पी. की क्या स्थिति है?

सतनाम सिंहः जैसा कि आपको ज्ञात है हमने 16 यू.एम.पी.पी. की पहचान की है। इनमें से 4 को सफलतापूर्वक अवार्ड दिया गया है। इनमे से 2 परियोजनाएं कुछ मुश्किल में है परंतु यह एक अलग मुद्दा है। अन्य 2, जिसके लिए हमने पिछले वर्ष आर.एक्स.क्यू. जारी किया है, उडीसा और छत्तीसगढ रोल ओवर मुद्दे को लेकर परेशानियों में है। उडीसा की मुश्किलों को सुलझा लिया गया है और हमें आर.एफ.क्यू. बोलियां प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है इसलिए हमने आर.एफ.क्यू. जारी नहीं किया है। चेय्यूर, जो आयातित कोल आधारित यू.एम.पी.पी. है हम इसे आर.एफ.क्यू. जारी करने के लिए तैयार हैं परंतु हम शक्ति प्राप्त मंत्रियों के समूह के साथ परामर्श के पश्चात् ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले मानक बोली दस्तावेजों के बारे में निर्णय का इंतजार कर रहे है। जिसके बाद ही आर.एफ.क्यू. जारी किया जाएगा। यह अन्य यू.एम.पी.पी. की स्थिति थी वे प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है।

कमलेश कोटकः महोदय, क्या हम यह आशा करें कि वित्त वर्ष 2013 में एक अथवा दो यू.एम.पी.पी. को अवार्ड दे दिया जाएगा?

सतनाम सिंह : मैं ऐसा नहीं सोचता क्योंकि उडीसा ऐसा यू.एम.पी.पी. जहां आर.एफ. क्यू. पहले ही जारी किया जा चुका है। अतः हमे उड़ीसा के लिए आर.एफ.पी. जारी करना है जिसके लिए हम ऊर्जा मंत्रालय से संशोधित दस्तावेज प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे है। उन्हे फिर से शक्ति प्राप्त मंत्रियों के समूह से क्लीयरेंस लेना होगा और एक बार नए दस्तावेजों के आने पर हमे आर.एफ.पी. प्रस्तुतीकरण के लिए 5 महीने का समय देना होगा। यदि मार्च 2013 तक कोई यू.एन.पी.पी. संभव है तो यह केवल उड़ीसा होगा। अन्य 2 को मार्च 2013 तक यू.एम.पी.पी. अवार्ड देना संभव नहीं होगा क्योंकि इसके लिए प्रक्रिया शुरु नहीं हुई है।

कमलेश कोटक : आर.–ए.पी.डी.आर.पी. से आने वाली किस निधिकरण आवश्यकता की आप बात कर रहे हैं जिसे आपने सुधरते हुए देखा है। इस दिशा में अगले वर्ष के लिए क्या लक्ष्य होगा?

सतनाम सिंह : जहां तक आर.–ए.पी.डी.आर.पी. का प्रश्न है, हमने प्रत्येक चीज की पहले ही मंजूरी दे दी है और वस्तुतः आय भाग–क और भाग–ख दोनो के लिए संवितरण विभिन्न वितरण कंपनियों द्वारा इन परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पर निर्भर करेगा। अतः मूल्य के अर्थ में यह वितरणों का अधिक हिस्सा नहीं होगा। यह अधिकतम 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत होगा।

कमलेश कोटक : नवीनीकरणीय ऊर्जा की दिशा में क्या हो रहा है। क्या आप इस ओर भी ध्यान दे रहे हैं?

सतनाम सिंह : जी हां, हमने नवीनीकरणीय क्षेत्र में छोटी परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान देने के लिए पी.एफ.सी. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नामक अलग कंपनी खोली है और हमने इसके लिए पहले ही एन.बी.एफ.सी. स्थिति की मांग की है। एक बार यह स्थिति मिलने पर हम इस कंपनी के अधीन मंजूरियां जारी करना शुरु कर देंगे।

कमलेश कोटक : अतः यह पवन, सौर तथा बायोमास जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए होगी?

सतनाम सिंह : जी हां।

कमलेश कोटक : ठीक है। इसके लिए आपका धन्यवाद।

सतनाम सिंह : धन्यवाद।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न आई.सी.आई.सी.आई. सिक्योरिटीज के अभिषेक मुरारका की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

अभिषेक मुरारका : महोदय, नमस्कार। मैं दिसंबर तक की बकाया राशि के तुलनपत्र की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ।

सतनाम सिंह : आपके प्रश्न का जवाब देने से पूर्व मैं बताना चाहूंगा कि एक प्रतिभागी ने दिसंबर 2011 को बकाया के बारे में एक प्रश्न पूछा है। भूलवश, मैंने दिसंबर 2010 तक के आंकडे बताएं है। अतः मैं इन आंकडो का संशोधन करना चाहूंगा। अतः मेरा विश्वास है सभी मेरे उत्तर को सुन रहे हैं। कुछ समय पूर्व मैंने राज्यवार जो आंकड़े दिए हैं वे दिसंबर 2010 तक थे। दिसंबर 2011 के आंकड़ों का मैं दोहराना चाहूंगा। महाराष्ट्र 13,600 करोड़, राजस्थान 11,800 करोड़, आंध्र प्रदेश 10,200 करोड़, दिल्ली एवं एन.सी.आर. 9,900 करोड़, हरियाणा 9,600 करोड़, मध्य प्रदेश 9,200 करोड़, उत्तर प्रदेश 8,600 करोड़, पश्चिम बंगाल 8,400 करोड़, छत्तीसगढ़ 7,500 करोड़ लगभग। अतः मैंने प्रथम नौ राज्यों का जिक्र किया है।

अभिषेक मुरारका : और तमिलनाडु की क्या स्थिति है?

सतनाम सिंह : तमिलनाडु का 5,580 करोड़।

अभिषेक मुरारका : स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद।

सतनाम सिंह : अब आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। दिसंबर तक कुल प्रोविजन 71 करोड़ है।

अभिषेक मुरारका : क्या आपके तुलन पत्र में 71 करोड़ बकाया है? महोदय, आपने कहा है कि आप भारतीय रिजर्व बैंक से इन विवेकी दिशा–निर्देश के अनुपालन के बारे में मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथापि हम अपनी ओर से हमेशा कुछ मानक परिसंपत्ति प्रोविजनिंग कर सकते

हैं। क्या बोर्ड अथवा आप पी.एफ.सी. को आगे ले जाने के बारे में ऐसी बात पर विचार कर रहे हैं?

सतनाम सिंह : नहीं, हमने जान–बूझकर ऐसा न करने का निर्णय लिया है जब तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश न दिया जाए। भले ही वे निर्देश दें, हम उन्हें स्पष्टीकरण देंगे कि हम पर यह क्यों लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि धारा 4क की कंपनी होने के कारण हम करयोग्य लाभ के 5 प्रतिशत के बराबर अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रत्येक वर्ष रिजर्व तैयार करते हैं जो दिसंबर 2011 तक 1,100 करोड़ है। यह ऋण बही का लगभग 1 प्रतिशत है और वे 0.25 प्रतिशत के मानक प्रोविजन की बात कर रहे हैं। अतः जब हमारे पास तुलन पत्र में इस प्रकार का रिजर्व हो तब 0.25 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रोविजन के सृजन की क्या आवश्यकता है? और, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसे 1,100 करोड़ के लिए हमने कुछ चार्ज नहीं किया है क्योंकि हमने किसी अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में नहीं डाला है। अतः मानक प्रोविजन का लक्ष्य एक बफर की भांति है। जब आपके पास उसके चार गुणा बफर हैं तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई अतिरिक्त बफर तैयार करना चाहिए।

अभिषेक मुरारका : और कुछेक आंकड़ो के बारे में बताएं। बकाया ऋण बही में राज्य गारंटियों के अधीन ऋण का अनुपात कितना है?

सतनाम सिंह : मैं समझता हूँ कि दिसंबर तक यह 12 प्रतिशत है।

अभिषेक मुरारका : ठीक है। आपने बताया है कि 3,000 करोड़ का लघु अवधि ऋण 1,18,000 में से है जो केवल कार्यशील पूंजी के लिए है, क्या ऐसा मानना उचित है?

सतनाम सिंह : जी हां।

अभिषेक मुरारका : ठीक है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न निर्मल बैंग के भव्या संदेशा की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

भव्या संदेशा : महोदय, मैं, वस्तुतः निधि की लागत के बारे में जानना चाहती हूँ। आपका उधारी अनुपात प्रमुखतः बॉड से है। अतः मैं यह जानना चाहती हूँ कि ये कैसे है? क्या बॉड फिक्सड ब्याज वाले हैं अथवा नहीं?

सतनाम सिंह : मुख्यतः फिक्सड। परंतु आप संघटन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि दिसंबर 2011 तक कुल उधारी 1,00,300/– करोड़ है। इनमे से फिक्सड दर पर दायित्व 74 प्रतिशत है।

भव्या संदेशा : अतः 74 प्रतिशत फिक्सड है?

सतनाम सिंह : जी हां, फ्लोटिंग दर 26 प्रतिशत है। यदि आप इसका ब्रेक आऊट करें तो बेस रेट आधार 7 प्रतिशत बॉड है जिसमे एक वर्ष का रीसैट

9 प्रतिशत, रेपो बेसिस 0.5 प्रतिशत, पी.एल.आर. बेस 2 प्रतिशत है और तीन वर्ष का रीसैट 1 प्रतिशत है और विदेशी मुद्रा 4 प्रतिशत है।

भव्या संदेशा : मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि जैसा आपने पहले कहा है कि वस्तुतः निधियों की लागत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथासमय ब्याज दर बढ़ाए जाने पर बढ़ती है, जबकि अग्रिमों का पुनर्मूल्यन तिमाही आधार पर होता है?

सतनाम सिंह : जी हां, यदि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज जल्दी–जल्दी अर्थात् तिमाही में एक बार से अधिक बढ़ाए तब हम अपने लेनदारों को समस्त चीजें देने में सक्षम नहीं होंगे। यह पूरी समयावधि के लिए होगा। लंबी समयावधि में, प्रत्येक चीज अंतरित होगी उस समय विशेष पर नहीं। उदाहरणार्थ, आप देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने तिमाही में 50 बेसिस बिंदु बढ़ाए हैं इससे मेरी फ्लोटिंग देयताएं 50 बेसिस बिंदु बढ़ जाएंगी जबकि उस तिमाही में उस दर पर परिसंपत्तियों में (मात्र की वृद्धि होगी और दूसरी तिमाही में अतिरिक्त (, और तीसरी तिमाही में (अतिरिक्त और एक वर्ष पूरा होने तक यह पूर्ण हो जाएगी। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक इस पर विराम लगाती है, जैसा कि इसने अब किया है तब दूसरी तिमाही से हमारा विस्तार ऊपर जाना शुरु हो जाएगा।

भव्या संदेशा : मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा है कि यह लगभग 26 प्रतिशत है। अतः यहां भी (के बारे में आप कह सकते है। कि (

निधियां ही बढ़ोतरी लागत के अधीन होती हैं? कुल उधारियों का (ही बढ़ोतरी लागत के अधीन होता है। क्या यह सही है?

सतनाम सिंह : किंतु एक ही समय में यह सही नही है क्योंकि कुछ तीन वर्षीय रीसैट है और इस सीमा तक हमें बेस दर कही जाने वाली मद का तुरंत समायोजन करना होगा, परंतु यह तीन वर्ष के रीसैट पर है और केवल तीन वर्ष में एक बार होगा।

भव्या संदेशा : अतः महोदय, मार्जिन की कमी केवल इस कारण से है कि आपको मिलने वाले ब्याज पर कुछ दबाब होता है।

सतनाम सिंह : कृपया इसे दोहराएं।

भव्या संदेशा : महोदय, मार्जिन की कमी कम है और प्रमुखतः इसी कारण से अथवा कुछ हद तक आपके द्वारा अब बेचे जाने वाले ऋणों की दरों के कारण।

सतनाम सिंह : नहीं, यह निश्चित रूप से इसी कारण है।

भव्या संदेशा : केवल इस कारण से। जी हां, और महोदय दूसरी बात मैं तिमाही के दौरान एन.पी.ए. की सकल वृद्धि के बारे में जानना चाहती हूँ।

सतनाम सिंह : एन.पी.ए. की सकल वृद्धि का उत्तर देने के पूर्व में ऋण के संघटन के प्रश्न का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। परिसंपत्ति बही में परिवर्तन होने पर व्यापार भी कुछ सीमा तक प्रभावित होता है। इस अर्थ में,

यदि अधिकाधिक देनदारी केन्द्रीय क्षेत्र, जो ज्यादातर ए.ए.ए. कंपनियां हैं, को जाती है तब भी विस्तार पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। जहां तक सकल एन.पी.ए. वृद्धि पर आपका अगला प्रश्न है तो बताना चाहूंगा कि यह 395 करोड़ है।

भव्या संदेशा : क्या 395 करोड़ की वृद्धि है?

सतनाम सिंह : यह सही है। कोनासीमा को हमने अक्तूबर–दिसंबर में जोडा है और वर्तमान में हमारी संरचना यह है कि पहले तो हमें 10 प्रतिशत अर्थात् 395 करोड़ का 10 प्रतिशत उपलब्ध करवाना है।

भव्या संदेशा : क्या यह अतिरिक्त प्रोविजन उचित है?

सतनाम सिंह : यह सही है।

भव्या संदेशा : महोदय नहीं, अतिरिक्त सकल एन.पी.ए. वृद्धि मात्र?

सतनाम सिंह : एन.पी.ए. 395 करोड़ होगा।

भव्या संदेशा : केवल एक?

सतनाम सिंह : यह सही है।

भव्या संदेशा : ठीक है।

सतनाम सिंह : आप कितने की आशा करते है। केवल एक इसलिए क्योंकि गैस उपलब्ध नहीं है अन्यथा यह एन.पी.ए. नहीं है।

भव्या संदेशा : जी हां महोदय, आपका निष्पादन बैंको से श्रेष्ठ है और इसकी प्रतिक्रिया यह है?

सतनाम सिंह : इसके लिए आपका धन्यवाद।

भव्या संदेशा : जी हां, कुछ समय पूर्व ऋण के बारे में टिप्पणी करते हुए आपने कहा है कि केन्द्रीय क्षेत्र के लिए मार्जिन प्रतिस्पर्धी दृष्टि से कम है। जैसा कि हम देख सकते है कि गत अवधि के दौरान और अब इस वर्ष और तिमाही के दौरान निजी क्षेत्र का उद्भासन बढ़ा है। अतः हम मार्जिन वृद्धि की बढ़ोतरी की भी आशा करते हैं?

सतनाम सिंह : जी हां, काफी समय से निजी क्षेत्र के मार्जिन ज्यादा हैं और ये बढ़ेंगे।

भव्या संदेशा : क्या एक तिमाही अथवा दो अथवा इससे ज्यादा?

सतनाम सिंह : आप देखेंगे कि यह उत्तर सामान्य कोटि का है कि क्या समय गुजरने के साथ प्रतिस्पर्धा के आधार पर देयताओं और परिसंपत्तियों के अंतराल के कारण विस्तार निम्नतर अथवा उच्चतर है। ऐसा मैंने प्रमुखतः इस कारण से ही नहीं कहा अपितु प्रतिस्पर्धा के कारण भी कहा है।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न जे.एम.फाईनेंशियल के अमिय साठे की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

अमिय साठे : महोदय मैं केवल एक प्रश्न करूंगा। महेश्वर परियोजना पर यदि इक्विटी 31 मार्च से पूर्व नहीं डाली गई तो छः माह पश्चात् इस ऋण को एन.पी.एल. कब माना जाएगा ?

सतनाम सिह : नहीं 31 मार्च के बाद।

अमिय साठे : क्या 31 मार्च के बाद इसे एन.पी.एल. के रूप में मान्यता मिलेगी ?

सतनाम सिंह : यह सही है।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न सुनिधि के बजरंग बाफना की ओर से है, कृपया प्रश्न पूछिए।

बजरंग बाफना : महोदय मेरा प्रश्न इस बात से संबंधित है कि पी.एफ.सी. के पास ऋणों के अशोध्य होने पर क्या विकल्प होगा अथवा कुछ कारणों से परियोजना शुरू न होने पर हमें कितनी प्रतीक्षा करनी होगी और परियोजना बेसिस पर हमारे पास क्या सिक्योरिटी उपलब्ध है ?

सतनाम सिंह : हमारी प्राथमिक सिक्योरिटी परियोजना परिसंपत्तियां हैं और राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के मामलों में हमारी भुगतान सिक्योरिटी एस्क्रो खाता है। यदि केन्द्रीय परियोजना ए.ए.ए. दर वाली है तब हम एस्क्रो के बारे में नहीं पूछते और निजी क्षेत्र की

दशा में यह परिसंपत्तियों पर प्राथमिक सिक्योरिटी के माध्यम से है और द्वितीयक सिक्योरिटी प्रमोटरों के मूल्यांकन पर आधारित संपार्श्विक के साथ विश्वास और प्रतिधारण है।

बजरंग बाफना : महोदय, उदाहरणार्थ महेश्वर परियोजना की भांति यह परियोजना तैयार है किंतु किन्हीं कारणों से यह शुद्ध नहीं हो पाती। मान लीजिए यह दो अथवा तीन वर्ष ले लेती है तब काल्पनिक रूप से क्या पी.एफ.सी. को उस परिसंपत्ति का निपटान करने का अधिकार होगा क्योंकि इसका परिसंपत्ति पर प्रथम और किसी अन्य को बेचने का अधिकार है और जो इसे चला सके। क्योंकि इस स्थिति में प्रमोटरो के पास निधि नहीं होती जिसकी वजह से अथवा अन्य किसी कारण से परियोजना शुरु नहीं हो पाती। उस स्थिति में हमें कितनी प्रतीक्षा करनी होगी और हम कैसे जान पाएंगे कि अंततः उस ऋण विशेष का क्लोजर किस प्रकार होगा?

सतनाम सिंह : मैं समझता हूॅ कि आपने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। जब परियोजना की परिसंपत्ति पर हमारा चार्ज होता है और चूक होने की स्थिति में हम उस चार्ज का उपयोग कर सकते हैं तब किसी भी संस्थान का अधिकार होने के बावजूद भी हमारा उस पर अधिकार होता है।

बजरंग बाफना : ठीक है । अंततः आप उस परिसंपत्ति का निपटान कर उदग्रहण कर सकते है...

सतनाम सिंह : जी हां, महेश्वर परियोजना के मामले में हमारा पहले से प्रबंधकीय नियंत्रण है। इसके प्रबंध निदेशक और वित्त निदेशक हमारे द्वारा नियुक्त किए गए है। बोर्ड के सदस्यों का संघटन इस प्रकार होता है कि हमारे बोर्ड सदस्य व प्रमोटरों के बोर्ड सदस्यों की संख्या लगभग समान हो। अतः हम इस दिशा में पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

बजरंग बाफना : महोदय ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न आप से संबंधित है। आपने संकेत दिया है कि आपकी कुल उधारियों मे से 74 प्रतिशत फिक्सड है और बकाया फ्लोटिंग। अग्रिमों की दशा में फिक्सड कितना है और फ्लोटिंग कितना है?

सतनाम सिंह : अग्रिमों की दशा में 5 प्रतिशत फिक्सड हैं और 95 प्रतिशत फ्लोटिंग और इसके अंतर्गत 85 प्रतिशत तीन वर्ष के रीसैट पर है, 7 प्रतिशत 10 वर्ष के, 2.5 प्रतिशत लघु अवधि के ऋण है जो फ्लोटिंग है और विदेशी मुद्रा 0.26 प्रतिशत है। अतः अधिकतर ऋण तीन वर्षीय रीसैट और दस वर्षीय रीसैट की श्रेणी में आते है।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न क्वांटम असैट्स मैनेजमेंट के अतुल कुमार की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

अतुल कुमार : नमस्कार महोदय। मैं यह जानना चाहता हूॅं कि विदेशी विनिमय में से कितना प्रतिशत संरक्षित होगा और कितना प्रतिशत मुक्त ?

सतनाम सिंह : जहां तक विदेशी विनिमय की बात है इसमें मुद्रा जोखिम है। हमने 14 प्रतिशत को संरक्षित किया है और 86 प्रतिशत मुक्त है। ब्याज दर जोखिम की दशा में मुक्त की स्थिति 76 प्रतिशत है।

अतुल कुमार : एक अन्य बात परिसंपत्तियों और देयताओं के बारे में है। वित्त वर्ष 2013 में मूल्यन की क्या स्थिति है ? क्या आप इसे स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

सतनाम सिंह : परिसंपत्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन हो रहा है।

अतुल कुमार : यह ठीक है।

सतनाम सिंह : परिसंपत्तियां रीसैट के लिए आ रही है। आप किस वर्ष विशेष के बारे में जानना चाहते है ?

अतुल कुमार : महोदय, अगले वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2013 के बारे में । क्या आप इस बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

सतनाम सिंह : वित्त वर्ष 2013 में परिसंपत्तियां लगभग 33,000 करोड़ होंगी और देयताएं 5,400 करोड़ ।

अतुल कुमार : महोदय, यह प्रश्न आपके द्वारा चालू वर्ष के लिए किए जा चुके और किए जाने वाले अनुमोदनों के बारे में है। जहां तक हम समझते हैं लिंकेज इतना अच्छा नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि उन परियोजनाओं के लिए कोल इंडिया अपेक्षाकृत छोटे प्रकार का

लिंकेज दे रही है। अतः आप अनुमोदनों की देख–रेख कैसे करते हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा है कि आप इस बात की ओर ध्यान दे रहे है कि ईंधन सिक्योरिटी और पी.पी.ए. होना चाहिए ।

सतनाम सिंह : नहीं, हम कहते रहे हैं कि इसमें समय लगता है। हम संवितरण करना शुरु करेंगे किंतु इन दो शर्तों का अनुपालन करने के लिए प्रथम संवितरण की तारीख से हम बारह महीनों का समय देंगे। अपने अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि ऐसा पिछले दो, साढ़े तीन वर्षों से नहीं हो रहा है। अतः हमने एफ.एस.ए. की कड़ी शर्तें लगाना शुरु कर दिया है जिसमें पी.पी.ए. भी शामिल है। अप्रैल 2011 से आगे संवितरण करने से पूर्व शुरुआत मे हमने सोचा था कि यह केवल अस्थायी परिघटना है किंतु हमने पाया कि ऐसा नहीं हो रहा है तब हमने कड़ी शर्ते लगाना शुरु कर दिया है। अतः उन परियोजनाओं के लिए जहां हमने शर्तें लगाई हैं वहां यह प्रथम संवितरण करने की तारीख से बारह महीने में होगा और उसके बाद प्रगति के आधार पर। विकासकों ने ऐसा किया है और हमने कई बार अतिरिक्त समय प्रदान किया है अन्यथा नहीं।

अतुल कुमार : अतः मैं समझता हूँ कि परियोजनाओं पर आप यह अप्रैल 2011 से आरोपित कर रहे हैं। इससे पूर्व की परियोजनाओं की क्या स्थिति है? क्या कोई ऐसा मामला है जहां संवितरण आदि शुरु हो चुका है किंतु एफ.एस.ए. आदि तैयार नहीं हो पाए हैं ? क्या इस संबंध में कोई अन्य मुद्दा है ?

सतनाम सिंहः कुछेक ऐसी परियोजनाएं हैं जहां संवितरण शुरु कर किए जा चुके हैं और एफ.एस.ए. और पी.पी.ए. तैयार नहीं हुए हैं किंतु ये ऐसी परियोजनाओं के लिए है जहां प्रधानमंत्री कार्यालय निगरानी रख रहा है और कोल इडिया को एफ.एस.ए. पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रहा है। जैसा कि मैंने अपने शुरुआती टिप्पणी में कहा है कि कोल इडिया को उन सभी संयंत्रों के साथ एफ.एस.ए. पर हस्ताक्षर करने होंगे जिन्होने 31 दिसंबर, 2011 तक कार्य शुरु कर दिया है। इसी प्रकार की स्थिति 2014–15 तक शुरु होने वाली परियोजनाओं की भी होगी। अतः ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रधानमंत्री कार्यालय की यह समिति कार्रवाई कर रही है किंतु हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने मीडिया से यह शेयर किया है कि कोल इंडिया द्वारा दी गई प्रतिबद्धता अब 50 प्रतिशत आपूर्ति की है जिससे विकासक किसी भी दशा में 42.5 प्रतिशत से अधिक का पी.एल.एफ प्राप्त कर सकते हैं। मूल करार के अनुसार भी उन्हें 30 प्रतिशत अन्य कोयला आयात करना था। यदि वे आयात करें तो वे 70–75 प्रतिशत तक पी.एल.एफ. प्राप्त कर सकते हैं। यह न्यूनतम है और मैं नहीं समझता कि देनदारो को कोई चूक होगी। केवल एक प्रश्न रह जाता है कि इक्विटी धारकों को कुछ समय तक कोई आय नहीं होगी। परंतु मेरे अनुसार देनदारों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

अतुल कुमार : धन्यवाद, महोदय। एक प्रश्न मूलतः पुनर्गठन के बारे में नहीं है परंतु मेरे कहने का अर्थ है क्या आपने ऋणों के पुनः अनुसूचित मामले देखे हैं ? क्या आप इस पर प्रकाश डाल सकते हैं?

सतनाम सिंह : नहीं, हमने अपने लेनदारो को बता दिया है कि हमारी देनदारी परियोजना विशिष्ट है और परियोजना विशिष्ट लोन के पुनर्गठन का कोई प्रश्न नहीं उठता और मेरा मानना है कि हमने सम्मेलन में यह बात शेयर की है कि संवितरण की हमारी संरचना ऐसी है कि कोई भी कंपनी कम से कम राज्य पावर कंपनियां निधियों को डायवर्ट नहीं कर सकती क्योंकि हम उनसे आपूर्तिकर्ताओं के बिल देने और उन्हें सीधे भुगतान करने के लिए कहते हैं। आप पुनर्गठन की बात तब करते है जब आपने ऋण का उस प्रयोजन से इस्तेमान नहीं किया है जिसके लिए यह दिया गया थां। तभी आप पुनर्भुगतान देयताओं को पूर्ण नहीं कर पाते। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और इसलिए किसी पुनर्गठन का प्रश्न नहीं उठता। जी हां, हम राज्य लेनदारों के पुनर्गठन के अनुरोधों को केवल भूकंप, सूनामी अथवा अन्य प्रकार के तूफानों आदि में ही स्वीकार करते हैं। क्योंकि यह उनके नियंत्रण से बाहर होते हैं। हम यह विशेष परिस्थितियों में स्वीकार करते हैं आम परिस्थितियों में नहीं।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न एडिलवाईस के कुणाल शाह की ओर से है । कृपया प्रश्न पूछिए।

कुणाल शाह : मेरी ओर से दूसरा प्रश्न स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। जैसा मुझे याद है पिछली बार आपने तमिलनाडु के बारे में लगभग 5,500 करोड़ के उद्भासन का उल्लेख किया था ?

सतनाम सिंह : 5,500 करोड़।

कुणाल शाह : पिछली बार यह 8,500 करोड़ था और इस बार यह 5,500 करोड़ है।

सतनाम सिंह : नहीं यह 5,000 करोड़ था परंतु अब यह 5,500 करोड़ है।

कुणाल शाह : महोदय, पिछली बार यह 5,000 करोड़ था 8,500 करोड़ नहीं?

सतनाम सिंह : यह सही है।

कुणाल शाह : महोदय, मार्जिन के अर्थ में क्या दिशा–निर्देश हैं जबकि ब्याज दरें लगभग उच्चतम हैं और ए.एल.एम. और आपके द्वारा बताई गई देयताओं और परिसंपत्तियों की फिक्सड और फ्लोटिंग की प्रकृति कैसी है। मार्जिन के बढ़ते जाने के बारे में आप क्या दिशा–निर्देश देना चाहेंगे ?

सतनाम सिंह : यदि भारतीय रिजर्व बैंक कुछ समय तक दरों में वृद्धि न करे तो हमारा प्रसार 2.5 प्रतिशत अथवा इसके आसपास के स्तर तक वापस आ जाना चाहिए।

कुणाल शाह : इसका अर्थ है कि यह 2.15 प्रतिशत से बढकर लगभग 2.5 प्रतिशत अथवा इसके आसपास ही रहे?

सतनाम सिंह : ठीक है। वर्तमान में यह 2.22 प्रतिशत है और तिमाही में इसके 2.15 प्रतिशत रहने की संभावना है। परंतु संचयी रूप में यह 2.22 प्रतिशत है जिसे आगे बढ़ते जाना है।

कुणाल शाह : क्या तिमाही के दौरान केन्द्रीय उपयोगिताओं को कोई भारी भरकम ऋण दिया गया है क्योंकि संवितरण 1,500 करोड़ का रहा है?

सतनाम सिंह : कोई अतिरिक्त ऋण नहीं दिया गया है अपितु पूर्व मंजूरियों के अनुसार वे संवितरण प्राप्त करने के पात्र हैं।

कुणाल शाह : अतः यह तिमाही के दौरान भारी भरकम ऋण था?

सतनाम सिंह : भारी भरकम से आपका क्या अर्थ है ?

कुणाल शाह : महोदय, यहां इसका अर्थ केवल बड़ी प्रमात्रा से है।

सतनाम सिंह : हमने बडी प्रमात्रा का कोई अतिरिक्त ऋण मंजूर नहीं किया है।

कुणाल शाह : संवितरण कितना है?

सतनाम सिंह : एन.टी.पी.सी. को 1,000 का संवितरण है।

मर्यादक : धन्यवाद। अगला प्रश्न डियूस इक्विटी के अभिषेक पुरी की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

अभिषेक पुरी : महोदय को नमस्कार, कुछेक प्रश्न। आपका उदीपी पावर को उद्भासन है जिन्होने हाल ही में भुगतान में चूक की है। हमने उस

राशि को एन.पी.ए. के रूप में बुक किया है । इसके भुगतान की क्या स्थिति है ?

सतनाम सिंह : हमारे लिए यह एन.पी.ए. तब बनता है यदि यह छः माह के लिए बकाया हो। मेरा मानना है कि जनवरी के देय की अदायगी नही की गई है। केवल ब्याज का ही भुगतान किया गया है जबकि मूल का भुगतान नहीं किया गया है। अतः हमारी बहियो में यह एन.पी.ए. नहीं है इसलिए कोई प्रोविजनिंग नहीं की गई है।

अभिषेक पुरी : इसके लिए छः महीने चाहिए ?

सतनाम सिंह : यदि यह अगली तिमाही तक ऐसा रहता है तब इसे एन.पी.ए. माना जाएगा। उदीपी ईकाई एक व दो को बकाया ऋण की राशि 929 करोड़ है।

अभिषेक पुरी : 929 करोड़।

सतनाम सिंह : एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस परियोजना की एक समस्या यह है कि संबंधित राज्य सरकार जिसका निष्क्रमण प्रणाली अर्थात् ट्रांसमिसन लाईन स्थापित करने का दायित्व था उसे केवल 17 कि0मी0 की पट्टी के बारे में पर्यावरणीय क्लीयरेंस पर आपत्ति है। यह समस्या एक बार सुलझाने पर यह एन.पी.ए. नहीं रह जाएगा।

अभिषेक पुरी : महोदय, हमें यह जान पड़ता है कि राज्य सरकार ने इस पर आगे काम किया है और उन्होने दैवी कृत्य खंड शामिल किया है कि उन्हे क्लीयरेंस नहीं मिल पाई है ?

सतनाम सिंह : यह ठीक है किंतु मेरा कहना है कि यह आगे बढ़ रहा है इसका अर्थ यह नहीं है कि परियोजना में कुछ समस्या है। केवल 17 कि0मी0 की पारेषण लाइन स्थापित नहीं हैं इसीलिए वे हमारे ऋण चुकाने में असमर्थ हैं।

अभिषेक पुरी : अगला प्रश्न एस्सार पावर एम.पी. परियोजना के बारे में है जहां हमारा व्यापक उद्भासन है। इस संबंध में आप जानते है कि कंपनी ने गुजरात सरकार से कहा है कि वे पी.पी.ए. के अंतर्गत आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। क्या इस संबंध में आपको कोई शंका है ?

सतनाम सिंह : उन्होने जनवरी तक अपने सभी देय चुका दिए हैं।

अभिषेक पुरी : ठीक है। अंतिम प्रश्न पश्चिम बंगाल पावर विकास निगम के बारे में है। हम सुन रहे है कि पिछले नौ महीनो से जब से कोल इंडिया ने पिछली फरवरी माह के दौरान मूल्य बढ़ाए हैं उससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है और राज्य सरकार प्रशुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रही है। तथापि, कुछ समय पूर्व ही उन्होने 10 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी है। क्या इस संबंध में अद्यतित स्थिति की आवश्यकता होगी ? क्या ऐसे बकाया ऋण हैं जिनका अगले छः माह के दौरान पुनर्भुगतान होगा ?

सतनाम सिह : पश्चिम बंगाल के मामले में भी हमने 15 जनवरी तक सभी देय प्राप्त कर लिए हैं। परंतु आपका कहना सही है पश्चिम बंगाल में ईंधन मूल्य वृद्धि के प्रतिकर के बारे में कुछ समस्याएं हैं जिसे राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है परंतु अभी तक इससे हमारे देय प्रभावित नहीं हुए है।

अभिषेक पुरी : परंतु क्या आप यह आशा करते हैं कि यह स्थिति जारी रहेगी अथवा सरकार प्रशुल्क में वृद्धि की अनुमति देने के लिए इच्छुक होगी?

सतनाम सिंह : इस समय मैं इस पर कोई टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूॅं किंतु हम जानते हैं कि पावर कंपनियों ने यह मुद्‌दा राज्य सरकार के साथ उठाया है। इसका कोई विकल्प नहीं है और राज्य सरकार को यह स्वीकार करना होगा । अधिक से अधिक राज्य सरकारें यह स्वीकार कर रहीं है कि ईंधन मूल्य वृद्धि के कारण लागत वृद्धि का प्रभाव उपभोगताओं पर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

अभिषेक पुरी : किंतु एक देनदार के नाते पश्चिम बंगाल के बारे क्या आप चिंतित हैं?

सतनाम सिंह : नहीं।

मर्यादक : धन्यवाद, अगला प्रश्न क्रिसिल के ओमकार कुलकर्णी की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

ओमकार कुलकर्णी : महोदय नमस्कार। मैं ओमकार कुलकर्णी हूँ और मैं यह जानना चाहता हूँ कि वित्त वर्ष 2013 में शुरु होने वाली ऐसी कौन सी मेगावाट परियोजनाएं हैं जिनको आपने ऋण दिया हुआ है ? कृपया इन परियोजनाओं के बारे में बताएं?

सतनाम सिंह : इस समय मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। मेरे अनुसार आप केवल वित्तीय आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। आप हमें ई–मेल करें हम कल इसका जवाब दे सकते हैं।

ओमकार कुलकर्णी : जी हां, महोदय। महोदय, मैं कोनासीमा के कारण उत्क्रमित ब्याजगत आय के बारे में जानने से चूक गया था। क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे ?

सतनाम सिंह : जी हां 19 करोड़।

ओमकार कुलकर्णी : महोदय, क्या आप कोई संकेत देंगे कि यह गैस का मुद्दा कब तक सुलझा लिया जाएगा ?

सतनाम सिंह : हम आशान्वित हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित सचिवों की समिति, जिसमे प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव भी शामिल हैं, ने कहा है कि तब तक गैस का मुद्दा भी सुलझा लिया जाएगा और प्राथमिकता उन परियोजनओं को दी जाएगी जो पहले शरु हो चुकी हैं।

ओमकार कुलकर्णी : ठीक है महोदय। मैं यह जानना चाहता हूँ कि किसी परियोजना के एन.पी.ए. में चले जाने की स्थिति में इसे मानक संपत्ति माने जाने में कितना समय लगता है?

सतनाम सिंह : यदि कोई पुनर्गठन न किया जाए तो तुरंत। यदि पुनर्गठन किया जाए तो एक वर्ष पश्चात् ।

ओमकार कुलकर्णी : महोदय, महेश्वर परियोजना के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की छूट मार्च 2012 तक है। क्या इस छूट के बढ़ जाने के कोई आसार हैं अथवा इस संबंध में आपने कोई आवेदन किया है ?

सतनाम सिंह : हमने ऐसा नहीं किया है और मेरा अनुमान है कि प्रमोटर यह करने की कोशिश कर रहा है।

मर्यादक : धन्यवाद। अंतिम प्रश्न निर्मल बैंग की भव्या संदेशा की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

भव्या संदेशा : आपने एक परियोजना के बारे में बताया है कि आपने उसे एन.पी.ए. वर्गीकृत नहीं किया है क्योंकि अपनी शर्तों के अनुसार आप इसे छः माह पश्चात् वर्गीकृत करते हैं?

सतनाम सिंह : जी हां, यह सही है।

भव्या संदेशा : महोदय, ऐसे खातो की सकल राशि जिन्होने चूक की है और जिसकी अवधि एक माह से अधिक हो गई हो।

सतनाम सिंह : यह छः माह है।

भव्या संदेशा : अवधि एक माह बढ़ गई हो ?

सतनाम सिंह : ये आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं परंतु मैं आपसे ई–मेल भेजने का अनुरोध करुंगा। यह ज्यादा नहीं है परंतु इसकी गणना करना उपयुक्त नहीं रहेगा क्योंकि कुछ देनदार यथा नॉर्थ–ईस्ट थोड़े विलंब के बाद देय राशि का भुगतान कर देते हैं। अतः यह माानना कि वे एन.पी.ए. हो जाएंगी उपयुक्त नहीं होगा उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश की स्थिति में यदि वह देय राशि नियत तिथि तक नहीं चुकाते हैं तो वे एक माह के पश्चात् इसकी अदायगी कर देते हैं और कई बार 15 दिन बाद और कई बार डेढ़ महीने बाद। अतः सही अर्थो में सकल राशि की मांग करना और यह मानकर चलना कि यह राशि एन.पी.ए. हो जाएगी उचित नहीं है।

भव्या संदेशा : महोदय, वस्तुतः मैं उस राशि के बारे में जानना चाहती हूँ ?

सतनाम सिंह : हम आपको यह आंकड़े बता देंगे, कृपया आप हमें एक ई–मेल भेजें।

भव्या संदेशा : महोदय, मैं यह आंकड़े इसलिए चाहती हूँ कि इससे ब्याज हानि कम होगी।

सतनाम सिंह : नहीं, हम इसके लिए अतिरिक्त ब्याज लेंगे।

भव्या संदेशा : इसका अर्थ यह है कि कोई ब्याज की हानि नहीं होगी ?

सतनाम सिंह : हम कुछ अतिरिक्त न लेकर जुर्माना स्वरुप ब्याज लेंगे ।

मर्यादक : आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अब कोई प्रश्न नहीं है इसलिए मैं पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होने अपना बहुमूल्य समय दिया है। श्री सतनाम सिंह जी इस सम्मेलन के बारे में अपनी टिप्पणी देने की कृपा करें।

सतनाम सिंह : इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के अलावा मैंने यह सोचा था कि कुछ व्यक्ति लेनदारी लागत के बढ़ने के बारे में प्रश्न करेंगे। हमें इस वित्त वर्ष में 5,000 करोड़ के कर रहित बॉड दिए गए हैं और हमने उन्हें उगाह लिया है। इसका कुछ हिस्सा प्राईवेट प्लेसमेंट से उगाहा गया है और अवधि के आधार पर देनदारी लागत की रेंज 7.5 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत रही है और बकाया राशि लोक निर्गम के माध्यम से उगाही गई है जिसकी लागत 8.2 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत की रेंज में है। उतरोत्तर वृद्धि का प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण देने की हमारी क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो कुछ मैं चाहता था वह मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके लिए आपका धन्यवाद।

मर्यादक : धन्यवाद महोदय। जे.एम. फाईनेंसियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड की ओर से मैं इस सम्मेलन का समापन करना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अब अपनी लाइन डिसकनैक्ट कर सकते हैं।